उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0–47/2021–22

महादेव यादव.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सलखी देवी.....उत्तरकारी

आदेश

18.02.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–114/11–12 में पारित आदेश दिनांक–24.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) मौजा मालघाघर एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान शंकर महतो थे, जो अपीलकर्त्ता के दादा एवं उत्तरकारी सं0–1 सलखी देवी के पति थे।

(2) मौजा के अंतिम प्रधान शंकर महतो के मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी उत्तरकारी सं0–1 सलखी दवी को मौजा का प्रधान पी0ए0 वाद सं0–114/11–12 में आदेश दिनांक–24.08.2021 द्वारा नियुक्त किया गया।

(3) उत्तरकारी सं0–1 के प्रधान पद पर किये नियुक्ति के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0–29/2012–13 दायर किया गया। इस अपील वाद में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक–16.10.2015 को आदेश पारित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पूर्नविचारार्थ इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उम्मीदवार की योग्यता (Fitness) पर जाँच कर प्रधान नियुक्त किया जाय।

(4) उत्तरकारी सलखी देवी की उम्र लगभग 85 वर्ष है, को प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के नियमानुकुल नहीं है।

(5) अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान शंकर महतो के जेष्ठ पुत्र के पुत्र है। वह प्रधान पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। पूर्व प्रधान के अन्य पुत्रों का प्रधान पद पर कोई दावा नहीं है।

(6) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तत्कालीन उपायुक्त के पारित आदेश दिनांक–16.10.2015 के आलोक में विचार किये बिना ही उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया, जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

प्रावधान

SPT (Supplementary) Rules 1950, Schedule V

Dismissal of Headman :-

The power of dismissal rests with the Deputy Commsissioner subject to an appeal to the Commissioner , Santal Parganas. Headmen are liable to be dismissed for the following reasons, and the heir of the headman dismissed for misconduct shall have no claim to the office :-

(1) On account of personal unfitness through excessive age; defective intellect or physical infirmity,

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरकारी काफी वृद्ध है, उनकी उम्र लगभग–85 वर्ष है। संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिउ्डल–V Dismissal of Headman के क्रमांक–1 में उम्र की अधिक्ता एवं शारीरिक रूप से कमजोर प्रधान को प्रधान पद के लिए अयोग्य माना गया है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

(2) तत्कालीन उपायुक्त द्वारा रे0मि0 अपील वाद सं0–29/2012–13 में पारित आदेश दिनांक–16.10.2015 में उल्लेख है कि :–

"निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता के आवेदन के आधार पर संबंधित मौजा के 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस का तामिला कराकर उन्हें धारा–6 के अन्तर्गत विधिवत प्रधान पद पर नियुक्त किया जाय।"

किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा तत्कालीन उपायुक्त, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.10.2015 के आलोक में कार्रवाई किये बिना ही उत्तरकारी को पुनः प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो नियमसंगत नहीं है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रे0मि0 अपील वाद 29/2012–13 में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.10.2015 के आलोक में प्रधान नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

56 dtd 14/3/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:00:30 +05:30
Location: 169.254.227.244